न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2022/244

1. बिरधीलाल आत्मज गोपी जाति धाकड़ निवासी सॉवतगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. कन्हैयालाल आत्मज गोपी जाति धाकड़ निवासी सॉवतगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

––अपीलान्ट

बनाम

1. गोपाल आत्मज भूरा जाति धाकड़ निवासी सॉवतगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. मदनलाल आत्मज भूरा जाति धाकड निवासी सॉवतगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. गायत्रीबाई पुत्री गोपी जाति धाकड़ निवासी सॉवतगढ़ हाल डाबेटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
4. बदराबाई पुत्री गोपी पत्नी शोभाग जाति धाकड निवासी सॉवतगढ़ हाल कचरावता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
5. जन्सी आत्मज छीतर जाति धाकड निवासी सॉवतगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
6. माँगीलाल आत्मज ओंकार जाति धाकड निवासी सॉवतगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
7. गोपी आत्मज ओंकार जाति धाकड निवासी सॉवतगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
8. बजरंगलाल आ. आँकार जाति धाकड़ निवासी सॉवतगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
9. रामराज आ. आँकार जाति धाकड निवासी सॉवतगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
10. बादाम पुत्री आँकार पत्नी रंगलाल जाति धाकड निवासी सॉवतगढ़ हाल कुम्हरला का बालाजी, हनुमानपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
11. बद्री आ. औंकार जाति धाकड निवासी सॉवतगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
12. कैलाशी पत्नी माँगीलाल जाति धाकड़ निवासी सॉवतगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
13. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 5 से 12 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 25.07.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा प्रकरण सं0 89/प्रा. पत्र/2019 में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पो0 01 व 02 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम सावंतगढ़ पटवार मण्डल सावंतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में प्रार्थीगण रेस्पो0 01 व 02 के कब्जे एवं खाते की खसरा संख्या 443 रकबा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 444 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में पहुंचने के लिए मैन रास्ते से खसरा संख्या 475, 476, 473, 474 व 471 में होकर प्रार्थीगण रेस्पो0 01 व 02 अपने खेत में पहुंचते है प्रार्थीगण के खेत में पहुंचने का रास्त उक्त खसरा नंबर के मध्य होकर बना हुआ है जिस पर मिट्टी भी डली हुई है जिस पर प्राथीगण हमेशा से आते जाते रहे है उक्त रास्ता 12 फिट चौड़ा में बना हुआ है। प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा संख्या 443 व 444 में पहुंचने के लिए अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की भूमि खसरा संख्या 475 एवं 476 तथा अप्रार्थीगण संख्या 5 की भूमि खसरा संख्या 474 तथा अप्रार्थीगण 6 लगायत 12 की भूमि खसरा संख्या 471 व 473 की जितनी भी भूमि रास्ते में आयेगी उसकी डी०एल०सी० रेट के हिसाब से कीमत अदा करने को प्रार्थीगण तैयार है। पिछले कई वर्षों से खसरा संख्या 475,476, 473, 474 एवं 471 में होकर प्रार्थीगण अपने खेतों में पहुंचते आ रहे हैं उपरोक्त खसरा नम्बर के मध्य की मेड पर मिट्टी डी हुई थी परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त मिट्टी को हांक कर अपने खते में मिला लिया है जिससे प्रार्थीगण अपने खेतों में नहीं पहुंच पा रहे है पूर्व में 12 फिट चौड़ा रास्ता बना हुआ था जिस पर मिट्टी डी हुई थी। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 द्वारा इस वर्ष में रास्ते की मिट्टी को अपने खेत में मिलाने से प्रार्थीगण को अपने खेत को हांकने जोतने में ट्रेक्टर ट्रॉली नहीं जा पा रहे है जिससे प्रार्थीगण रेस्पो0 01 व 02 की अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पडत रहने की स्थिति में आ गयी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 01 में वर्णित प्रार्थीगण के खाते के खेतों में पहुंचने के लिए प्रार्थना पत्र की चरण सं0 02 में बताये गये खसरा सं0 475, 476, 473, 474 व 471 के मध्य में 12 फिट रास्ते को निकाल कर नक्शे में लाल स्याही से तरमीम किया जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्रार्थीगण रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार दबलाना को निर्णयानुसार तहरीर जारी करने के आदेश दिए।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2022 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट 01 व 02 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावें ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 12 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अपीलांट को पूर्व में कोई ज्ञान नहीं था। और न ही अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में बताया गया था। और पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.10.2022 को इस संबंध में बताने पर दिनांक 21.10.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में जानकारी करने पर उक्त निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान होने पर नकल आवेदन कर दिनांक 28.10.2022 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की है। जो जानकारी की तिथी से अवधि मध्य पेश है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने विलंब अवधि को क्षम्य करते हुए धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकृत कर अपील की सुनवाई हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के कथनों को गलत बताया तथा अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने योग्य बताया। अधिवक्ता रेस्पो0 ने आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश है। अतः खारिज किये जाने योग्य है।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। न्यायहित मे नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के सर्वथा विपरित होने से तथा उसमें वाक्याति त्रुटि होने से निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त की गई मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपीलांट को कोई सूचना नही दी

गई और न ही अपीलांट की उपस्थिति में उक्त मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिससे मौके की वास्तविक स्थिति न्यायालय में प्राप्त नही हो सकी और न ही अपीलांट वैकल्पिक रास्ते के सम्बन्ध में मौके पर बता सके। तथा मौका रिपोर्ट भी मौके की वास्तविक स्थिति के विपरित है। तथा रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा अपनी भूमियों पर पहुँचने हेतु उपयोग में लिए जा रहे वर्तमान रास्ते के सम्बन्ध में भी कोई अंकन मौका रिपोर्ट में नही है और न ही रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के पास उपलब्ध वैकल्पिक रास्ते के सम्बन्ध में कोई अंकन है और रिपोर्ट भी रास्ते के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से स्पष्ट नही है। जिस पर दिया गया निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपीलांट को सूचित नही किया गया और न सुनवाई की गई तथा मौका रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में भी नही बनाई गई है। और न उक्त मौका रिपोर्ट मौके पर जा कर बनाई गई है और न मौका रिपोर्ट मौके के अनुरूप है तथा मौका रिपोर्ट में अपीलांट के हस्ताक्षर भी नही है। और विष्णु के हस्ताक्षर है जो रेस्पोडेन्ट कम 1 गोपाल का लड़का है तथा हेमराज रेस्पो माँगीलाल का लड़का है। गोपाल व मदन स्वयं रेस्पोडेन्ट है तथा प्रेमचंद नाम का व्यक्ति गाँव में मौजूद नहीं है। इसी से स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट केवल मात्र बनावटी है जो अपीलांट के विरुद्ध पठनीय नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान ही नही दिया। रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की भूमियों के दक्षिण में ग्रेवल सड़क खसरा संख्या 507 पर निकली हुई है जो सावंतगढ़ निमोद से रानीपुरा जाने वाला मेन ग्रेवल रोड़ है। उक्त मेन ग्रेवल रोड़ से खसरा संख्या 410 एवं खसरा संख्या 410 / 1224 की पश्चिमी मेड़ पर होते हुए रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 अपनी भूमि खसरा संख्या 448 में पहुँचते है और उक्त भूमि खसरा संख्या 448 रेस्पोडेन्ट मदनलाल के खातेदारी कब्जे काश्त में है। और फिर आगे अपनी खातेदारी भूमियों में पहुँचते है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के पास उक्त रास्ता सबसे सुगम एवं सुविधाजनक तथा नजदीकी रूप में वैकल्पिक रूप में अपनी भूमियों में पहुँचने हेतु उपलब्ध है। जिससे रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 अपने पूर्वजों के जमाने से ही उक्त रास्ते से होते हुए अपनी भूमियों में आते जाते है जो काफी चौड़ा है। जो सबसे सुगम व नजदीकी है। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई अकंन मौका रिपोर्ट में नही है और न ही इस बात पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान दिया। दक्षिणी ओर ही रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो ग्रेवल सड़क खसरा संख्या 507 से निकल कर खसरा संख्या 410 की पूर्वी मेड़ पर होता हुआ खसरा संख्या 449 की पूर्वी एवं उत्तरी मेड़ पर होता हुआ रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की खसरा संख्या 448,444 एवं 443 में पहुँचता है। जो भी काफी नजदीकी रास्ता है जो मेन ग्रेवल सड़क से निकल कर रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की खातेदारी भूमियों पर पहुँचता है जिसका उपयोग उपभोग रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 अपनी भूमियों में पहुँचने हेतु काम में ले रहे है और अपने जानवर, ट्रेक्टर, ट्रोली, कृषि यन्त्र ला रहे है ले जा रहे है लेकिन इस सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट में कोई अंकन ही नही है और न ही इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान दिया। जो रास्ता रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 प्राप्त करना चाहते है वह काफी लम्बा है और वहाँ कोई रास्ता मौजूद नही है और न ही वहाँ होकर वे लोग आते जाते है। उक्त रास्ता अपीलांट कम 1 बिरधीलाल की खाते एवं कब्जे की भूमि खसरा संख्या 1494/476 एवं 475 में से प्रस्तावित किया गया है। उक्त रास्ता निकलने से अपीलांट की भूमियाँ दो भागों में बँट जायेगी और उक्त रास्ता मेड़ पर भी नही है। तथा अपीलांट के पास उक्त भूमि लगभग पौने दो बीघा ही है जिसमें से भी रास्ता निकलने से वह दो भागों में बँट कर अपीलांट के लिए अनुपयोगी बन जायेगी। उक्त भूमि ही अपीलांट की आय का जरिया है। इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नही दिया। रेस्पोडेन्ट कम 1 अपनी भूमियों पर पहुँचने हेतु खसरा संख्या 475,474,442,441

की पश्चिमी मेड़ पर हो कर भी आ जा सकते है। जो मेन ग्रेवल रास्ता खसरा संख्या 428 से हो कर आता है जिसमें अपीलांट को कोई आपत्ति नही है और उक्त रास्ता देने से अन्य खातेदारान् को भी अपनी भूमियों पर पहुँचने हेतु रास्ता मिल जायेगा जो काफी सीधा व सुविधाजनक भी है इसमें किसी को कोई आपत्ति नही है लेकिन इस तथ्य की ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नही दिया। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2022 को खारिज करने हेतु निवेदन किया।

9. उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट 5 लगायत 12 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि ग्राम सोंवतगढ पटवार मण्डल सॉवतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में प्रार्थीगण के कब्जे एंव खाते की खसरा संख्या 443 रकबा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 444 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में पहुंचने के लिए मैन रास्ते से खसरा संख्या 475,476,473,474, व 471 में होकर प्रार्थीगण रेस्पो0 अपने खेत में पहुंचते है प्रार्थीगण रेस्पो0 के खेत में पहुंचने का रास्ता उक्त खसरा नंबर के मध्य होकर बना हुआ है जिस पर मिटटी भी डली हुयी है जिस पर प्रार्थीगण रेस्पो0 हमेशा से आते जाते रहे है उक्त रास्ता 12 फिट चौड़ा में बना हुआ है। पिछले कई वर्षो से खसरा संख्या 475,476,473,474, एंव 471 में ही होकर प्रार्थीगण अपने खेतो में पहुचते आ उपरोक्त खसरा नंबर के मध्य की मेड पर मिटटी डली हुयी थी परन्तु अप्रार्थीगण अपीलांट द्वारा उक्त मिटटी को हांक कर अपने खेत में मिला लिया है जिससे प्रार्थीगण रेस्पो0 अपने खेतो में नहीं पहुंच पा रहे है पूर्व में 12 फिट चौडा रास्ता बना हुआ था जिस पर मिटटी डली हुयी थी । अप्रार्थीगण अपीलांट द्वारा इस वर्ष में रास्ते की मिटटी को अपने खेत में मिलाने से प्रार्थीगण को अपने खेत को हांकने जोतने में ट्रैक्टर टोली नहीं जा पा रहे है जिससे प्रार्थीगण की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पडत रहने की स्थिति में आ गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। मौका रिपोर्ट की भी अपीलांट को जानकारी थी, परंतु ये मौके पर जानबूझकर नहीं आए। इसलिए राजस्व कार्मिकों ने मौका रिपोर्ट में लिखा कि अपीलांट अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुए। इस संबंध में प्रार्थना पत्र माननीय अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया। जो पूर्णतया सही है। अंत में अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2022 को यथावत रखने हेतु निवेदन किया।

10. हमने अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा की पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में आदेशिका दिनांक 12.02.2020 के अनुसार अपीलांटगण अप्रार्थी सं0 01 व 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 06.10.2020 की मौका रिपोर्ट संलग्न है जो पटवारी व भू अभिलेख निरिक्षक स्तर पर तैयार की गई है। विवादित आराजी की नकल जमाबंदी संवत् 2076–2079 तथा प्रस्तावित रास्ता दर्शाते हुए नक्शा ट्रैश संलम्न है। उक्त मौका रिपोर्ट पर पांच व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। मौका रिपोर्ट पर अंकित है– "मौके पर वादी उपस्थित आया प्रतिवादी नहीं आये।" अधिवक्ता अपीलांट का कथन रहा है कि उन्हें मौका रिपोर्ट की सूचना नहीं दी गयी। परंतु इस रिपोर्ट पर

राजस्व कार्मिकों ने प्रतिवादी के नहीं आने का अंकन किया है। इसके बाद भी अप्रार्थी अपीलांट मौका रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते थे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 29.10.2020 मौका रिपोर्ट प्राप्त हो गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अंतिम बहस दिनांक 13.07.2022 को सुनी गयी। दिनांक 29.10.2020 से अंतिम बहस सुने जाने के मध्य अपीलांट अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में मौका रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार करने की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट अप्रार्थीगण को आपत्ति व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है। जहॉ तक वैकल्पिक रास्ते का प्रश्न है, मौका रिपोर्ट में अंकित है कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। हमारे समक्ष भी अपीलांट वैकल्पिक रास्ते के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। राजस्व रिकार्ड में भी ऐसा कोई रास्ता नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण की संक्षिप्त जांच कर पक्षकारों को सुनवाई एवं आपत्ति का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करना होता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट अप्रार्थी को मौका रिपोर्ट व अन्य बिन्दूओं पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अधीनस्थ न्यायालय में पर्याप्त अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा